युवाओं में लिव–इन रिलेशनशिप एवं इसके सामाजिक परिणामः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मानसिंह मीना

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय कन्या महाविद्यालय, नादौती

सारांश

भारत सांस्कृतिक मूल्यों और रीति–रिवाजों का देश है। आज भी भारत कृषि प्रधान देश है एवं यहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। जहां पर नितांत शिक्षा का अभाव है। परंतु संचार माध्यमों एवं यहां की विकसित होती अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण व वैश्वीकरण ने लोगों को अधिकाधिक जागरूक किया है। भारतीय संविधान में उसके नागरिको के लिए एकांतता का अधिकार देता है। अतः कहीं न कहीं धीरे–2 भारत लिव इन रिलेशनशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है एवं लिव–इन रिलेशनशिप को वैध बनाकर बाकी दुनिया के साथ भारत को चलना होगा। हाँ, यह बेतुका–सा लगता है कि भारत जैसा देश अपने नागरिकों को ऐसा करने की अनुमति देगा, लेकिन यह सच है कि राज्य मंत्रिमंडल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन करने को हरी झंडी दे दी है, जो अन्य महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहती है। हालांकि, इसे अभी भी कानून का रूप लेने के लिए केंद्र की मंजूरी की जरूरत होगी। लिव–इन रिलेशनशिप पिछले कुछ समय में शायद सबसे संदिग्ध विषय रहा है। विवाह और परिवार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सामान्यतः भारतीय संस्कृति सख्त और परिवार संचालित है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप का प्रभाव असाधारण रूप से बहुत बाद का है जिसने आम जनता पर इस तरह के संबंधों के प्रभाव की पहचान करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाया है। इस तथ्य के बावजूद कि, इस विषय पर कोई अधिनियम नहीं है, भारतीय कानूनी कार्यपालिका ने किसी को लाइव देखने के मुद्दे पर बहुत प्रकाश डाला है और विवेकपूर्ण ढंग से आम जनता और व्यक्तियों के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के लिए समग्र धारणाओं को समायोजित करने का प्रयास किया है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक युवा जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, जो लड़की के परिवार से मिलने वाली धमकियों के डर से अदालत चले गए थे। ऐसा करने में, इसने निम्नलिखित अवलोकन किया यदि दावा किया गया ऐसा संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो समाज का संपूर्ण सामाजिक ताना–बाना गड़बड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने आगे कहा कि वयस्कों को अपना साथी चुनने का अधिकार है, और परिवारों को व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विश्व भर के समाजों में एक नया चलन तेजी से उभर रहा है। जहां विपरीत लिंग के दो वयस्क विवाह की संस्था को पूरी तरह से छोड़ कर स्वैच्छिक सहवास (लिव–इन रिलेशनशिप) का फैसला करते हैं, जो लगभग शादी जैसा दिखता है।

मूल शब्दः समाजशास्त्रीय अध्ययन, परंपरावादी राष्ट्र लिव–इन रिलेशनशिप

प्रस्तावना

भारत में लिव–इन रिलेशनशिप के मुद्दे के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। भारत में लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगलों के लिए विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने एवं इन लोगों से जन्में बच्चों की स्थिति के लिए कोई अभी तक कोई कानूनी संस्था नहीं है। इसके अलावा, भारत एक सख्त परंपरावादी राष्ट्र के रूप में माना जाता है एवं यहां का समाज तुलनात्मक रूप से एक रूढ़िवादी मानसिकता देखा जा सकता है। इतनी भ्रामक स्थिति में होने के बावजूद लिव–इन रिलेशनशिप महानगरों में रहने वाले कई जोड़ों की पसंद है। समाज और व्यक्ति के दृष्टिकोण के बीच यह निरंतर संघर्ष अब लगभग एक दशक से चल रहा है। प्रस्तुत पेपर ऐसे संबंधों का समाज पर पढ़ने वाले उनके प्रभावों से संबंधित है। व्यक्ति को विवाह के माध्यम से साथी के साथ संबंध को औपचारिक रूप देने या गैर को अपनाने का भी अधिकार है। लिव–इन रिलेशनशिप का औपचारिक तरीका। न्यायमूर्ति एचएस मदान ने भी ऐसे संबंधों को नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य के रूप में वर्णित किया है।

उद्देश्य

1. भारत में लिव–इन रिलेशनशिप की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. भारतीय संस्कृति और परंपरा पर लिव–इन रिलेशनशिप के प्रभाव का अध्ययन करना।

लिव–इन रिलेशनशिप का अर्थ

लिव–इन रिलेशनशिप एक नया शब्द हो सकता है लेकिन यह अवधारणा प्राचीन है। वेदों में हम विवाह का एक प्रकार गंधर्व विवाह यो पाते हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला परस्पर विवाह करने के लिए सहमत होते हैं। इसमें न तो जोड़े का परिवार शामिल होता है और न ही विवाह संपन्न करने के लिए कोई विशेष रस्म। यह सिर्फ मौखिक प्रतिबद्धता है। यह आज भी विवाह के दायरे में आता है। हालांकि एक युगल जोड़े को गंधर्व विवाह के माध्यम से साथ रहने की इजाजत दी गयी, परंतु प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी पारंपरिक ग्रंथों में तय किए गए अन्य विवाहों के समान थी। (शायद यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि बाल विवाह की अवधारणा वेदों में मौजूद नहीं हैय लड़कों और लड़कियों का विवाह युवावस्था प्राप्त करने के बाद ही किया जाता था)। बिना शादी के एक साथ रहने वाले पुरुषों और महिलाओं का रिवाज सहस्राब्दियों से चलन में है। प्राचीन काल से भारत में नवाबों, राजकुमारों और धनी पुरुषों की एक पत्नी नहीं, बल्कि कई पत्नियां होती थीं। लिव–इन में महिलाएं अपने जनानों में रहती थी। पुरुषों के लिए अपनी शादी के बाहर महिलाओं के साथ लिव–इन रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल भी अनैतिक नहीं माना जाता था। लिव–इन रिलेशनशिप की उत्पत्ति पश्चिमी देशों के साथ खोजी जा सकती है, जहां यह एक सिद्ध तथ्य है कि दो तिहाई से अधिक विवाहित जोड़े शादी करने से पहले एक साथ रहते हैं। लिव–इन रिलेशनशिप को अब शादी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इसे दो लोगों के सहवास की संज्ञा दी गई है, इसमें यह जरूरी नहीं कि साथी सदस्य विपरीत लिंग का हो वे एक ही लिंग के भी हो सकते हैं। आजकल, लोग विशेष रूप से युवा पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक भौतिकवादी होती जा रही है और भागीदारों के बीच नैतिक मूल्यों और भावनात्मक संबंधों में कई गुना गिरावट आई है। कोई भी साथी दूसरे साथी की जिम्मेदारी उठाने और जीवन भर के लिए उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं होता है। लिव–इन–रिलेशनशिप पहले श्मैत्रयकारोंश के रूप में अस्तित्व में थे जो गुजरात के कुछ हिस्सों में प्रचलित थे। सहिष्णुता और प्रतिबद्धता की कमी जैसे कई कारणों से अरेंज्ड मैरिज के संस्कार से लव मैरिज और आखिरकार लिव–इन रिलेशनशिप में धीरे–धीरे संक्रमण हो रहा है। कैसांद्रा एम. फ्लेक (2014) ने पाया कि छात्र एक स्वस्थ रिश्ते के कई कारकों की पहचान करते हैं जो कि स्वस्थ संबंधोंध्समानता चक्र के भीतर अवधारणा की गई है। हालांकि, शोषणकारी रिश्तों के बारे में उनकी समझ शारीरिक शोषण तक ही सीमित थी। हालाँकि, इस अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट था कि वे जटिल और अस्पष्ट हैं।

लिव–इन रिलेशन यानी स्वैच्छिक सहवास एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत दो लोग भावनात्मक औरध्या यौन रूप से घनिष्ठ संबंध में दीर्घकालिक या स्थायी आधार पर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यह शब्द अक्सर उन जोड़ों पर लागू होता है जो विवाहित नहीं हैं। आज, पश्चिमी दुनिया में लोगों के बीच सहवास एक सामान्य पैटर्न है। लोग कई कारणों से एक साथ रह सकते हैं। इनमें अनुकूलता का परीक्षण करना या शादी करने से पहले वित्तीय सुरक्षा स्थापित करना शामिल हो सकता है। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वे कानूनी रूप से विवाह करने में असमर्थ हैं, उदाहरण के लिए, यदि वे समान लिंग के हैं, तो कुछ अंतरजातीय या अंतर–धार्मिक विवाह कानूनी या अनुमति नहीं हैं। अन्य कारणों में तलाक से बचने के प्रयास में शादी से पहले किसी के साथ रहना, बहुविवाह करने वालों या बहुपत्नीवादियों के लिए कानून तोड़ने से बचने का एक तरीका, कुछ दो–आय वाले विवाहित जोड़ों (संयुक्त राज्य में) द्वारा भुगतान किए गए उच्च आयकर से बचने का एक तरीका शामिल है। पेंशन भुगतान पर नकारात्मक प्रभाव (वृद्ध लोगों के बीच), विवाह की संस्था का दार्शनिक विरोध और एक साथ रहने की प्रतिबद्धता और विवाह के प्रति प्रतिबद्धता के बीच थोड़ा अंतर देखना। कुछ व्यक्ति सहवास भी चुन सकते हैं क्योंकि वे अपने संबंधों को निजी और व्यक्तिगत मामलों के रूप में देखते हैं, न कि राजनीतिक, धार्मिक या पितृसत्तात्मक संस्थानों द्वारा नियंत्रित किए जाने के लिए।

भारत में लिव–इन रिलेशनशिप एवं कानूनी स्थिती

जब से भारत में लिव–इन रिलेशनशिप को वैध करने के संबंध में चर्चा शुरू हुयी है, तब से इसके साथ आने वाले दायित्वों और जिम्मेदारियों को जानना आवश्यक हो गया है। वास्तव में, भारत ने वर्तमान युवा पीढ़ी के अपने रिश्तों को समझने के तरीके में भारी बदलाव देखा है। शहरी समाज धीरे–धीरे लिव–इन रिलेशनशिप को स्वीकार कर रहा है, जो वर्जना लोगों को आगे बढ़ने से पहले परेशान करती थी, वह दूर होने लगी है। यह वर्षों से स्वतंत्रता, गोपनीयता, व्यावसायिकता, वैश्वीकरण और शिक्षा के अधिकार के साथ हुआ है। इसके अलावा, यह उत्तरदायित्वों से पलायन नहीं हैय वास्तव में, यह आपके साथी को बेहतर तरीके से जानने और अनुकूलता देखने का प्रयास है, ताकि तलाक को रोका जा सके।

पश्चिमी देशों में, एक रिश्ते में एक जोड़े की व्यापक स्वीकृति है। इसे उनके नागरिक और संघ समझौतों, कानूनी मान्यता, जोड़ों के बीच पूर्व–विवाह से समझा जा सकता है। हालाँकि, यह भारत में समान नहीं है। अधिकांश पश्चिमी शीर्ष न्यायालयों में, यह फैसला सुनाया गया था कि यदि एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक लिव–इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो पति और पत्नी के समान वैवाहिक कानून उन पर लागू होंगे। भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि एक महिला और एक पुरुष का एक साथ रहना एक विकल्प है और यह जीवन के

अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए, यह एक आपराधिक अपराध नहीं है। इसलिए, भारत में लिव–इन रिलेशनशिप वैध हैं।

लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित नैतिक और सामाजिक परिणाम

व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतंत्र सार तत्व हैं और इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इन दोनों सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में व्यक्तियों के द्वारा उच्च तकनीकी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा रहा है। इस तकनीकी में सर्वाधिक प्रयोग मोबाइल और टीवी का किया जा रहा है। परिणामस्वरूप वैश्विक गांव की संकल्पना चरितार्थ हो रही है। मोबाइल का सर्वाधिक प्रयोग 15 से 35 वर्ष के बच्चे ६ युवा अधिक करते हैं। जिसका सीधा परिणाम पश्चिमीकरण के रूप में देखा जा सकता है। अतरू युवाओं का समाजीकरण पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप हो रहा है। जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय महानगरों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। इसके कारण भारतीय विवाहों का परम्परात स्वरूप बदलता जा रहा है। रीति रिवाजो में कमी होती जा रही है। शादियों में कम खर्च एवं बेहतर जीवनसाथी मिलता है। भारतीय समाज में विवाह की अवधारणा इतनी गहराई से विद्यमान है कि अगर कोई दो विपरीत लिंग के व्यक्ति शादी किए बिना यौन संबंध बनाना वर्जित माना जाता है परिणामस्वरूप उन जोड़ों को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। विवाह न केवल पुरुष व महिला का बंधन है, बल्कि यह दो परिवारों का भी बंधन है। लेकिन जब विपरीत लिंग के दो व्यक्ति एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो समाज न केवल उनके चरित्र पर संदेह करता हैं बल्कि उनके परिवार की परवरिश पर भी सवाल उठाने लगते हैं और इसलिए कभी–कभी माता–पिता भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए समर्थन नहीं करते हैं। हालाँकि, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरीय शहरों में अब चीजें बदल रही हैं, और लोग लिव–इन रिलेशनशिप को रिश्ते के वैध रूप के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में स्थिति अभी बदली नहीं है।

ग्रामीण भारत में लोग लिव इन रिलेशनशिप के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी समाजों में विवाह को पारिवारिक निर्णय के बजाय एक व्यक्तिगत पसंद के रूप में देखा जाता है। इसलिए पश्चिमी समाज में भारतीय समाज की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है। भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप यौन इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका है और इसलिए यह वेश्यावृत्ति के समान है।

हालांकि लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि उन्हें अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करना हैं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप को चुनने के पीछे प्रमुख कारण यह है कि शादी से पहले दोनों पक्ष यह देखना चाहते हैं कि वे एक–दूसरे के अनुकूल हैं या नहीं। शादी एक आजीवन रिश्ता है और उस पवित्र रिश्ते में प्रवेश करने से पहले हर किसी को यह तय करने का अधिकार है कि उसका साथी उसके लिए सही है या नहीं। एक और समस्या जो भारतीय समाज लिव इन रिलेशनशिप से जोड़ता है वह यह है कि यह एक पुरुष और महिला को उनकी जिम्मेदारियों से दूर कर देता है और इसलिए उन्हें लापरवाह बना देता है, कई रूढ़िवादियों का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप का भारतीय समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह की मानसिकता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि समाज केवल उन्हीं प्रभावों को स्वीकार करता है जिनके साथ लोग सहज हैं जबकि वह इसके हानिकारक प्रभाव को अनदेखा करता है।लिव–इन रिलेशनशिप शहरी वर्गों के बीच संस्थागत विवाहों के प्रतिबंधों और असमानताओं से दूर रखने के एक उपाय के रूप में बेहद लोकप्रिय हैं।

लिव–इन रिलेशनशिप भारत में विद्यमान कई समीक्षाओं और कानूनों से गुजरने के बाद भी यह कभी भी विवाह जैसी संस्था का स्थान नहीं ले सकता है। ऐसा रिश्ता किसी भी तरह से उस तरह की सुरक्षा और भावनात्मक तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता जैसा एक शादी करती है। यह भी सही है कि लिव–इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी होने पर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे हम अपने लिए कि अच्छे जीवनसाथी का चुनाव कर पाते है जिसके साथ हमें अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता है।

निष्कर्ष

यह सत्य है कि इस अवधारणा में दोनों लिंग के युवा वयस्कों की धारणाओं का एक दूसरे को पता लगता है जिससे कि वे भविष्य के लिए विवाह के संबंध में बेहतर निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाते है। हालांकि लिव–इन रिलेशनशिप भारत में विद्यमान कई समीक्षाओं और कानूनों से गुजरने के बाद भी यह कभी भी विवाह जैसी संस्था का स्थान नहीं ले सकता है। हालाँकि यह युवा वयस्कों की प्रकृति और जीवित संबंधों के बारे में कई नवीन अवधारणाओं को नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप एक वैध कानूनी अधिकार है, जिसे जीवन की निजता के अधिकार के अंतर्गत संविधान में सुरक्षित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में केवल शहरी क्षेत्रों में ही लिव–इन–रिलेशनशिप की अवधारणा को धरातल पर स्थान मिल पाया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र रूढ़िवादी और परम्परा प्रधान होने के कारण इसे निकृष्ट कार्यों

में आंका गया है। अध्ययन में ज्ञात हुआ कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, परंतु यह कथन शहरी युवाओं के संबंध में ही सही पाया गया है।

सन्दर्भ सूची

- निक बिल्टन (2014), टिंडर, द फास्ट–ग्रोइंग डेटिंग ऐप, टैप्स ए एज–ओल्ड ट्रूथ, न्यूयॉर्क टाइम्स।
- रिचर्डसन, डेविड जी. (1993) : फैमिली राइट्स फॉर अनमैरिड कपल्स, कैनसस जर्नल ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी।
- फ्लेक, एम.सी. (2014), अडोलेसेंट परसेप्शंस ऑफ "हेल्थ" डेटिंग इम्प्लीकेशंस फॉर रिलेशनशिप्स : प्रोग्रामिंग, काउंसलर एजुकेशन मास्टर थीसिस, 173.
- छिब्बर, एम. और सिंह, ए. (2015), लिव–इन रिलेशनशिपरू एन एथिकल एंड अ मोरल डाइलेमा? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 1(8) : 74–77.
- साहू, एम.के. (2014), लिव–इन रिलेशनशिप : नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एनएचएलयू, जेएलएसएस वॉल्यूम – चतुर्थ, 2231–5594